



कार्यालय- नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।



Email id: nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax: 0135 2767611

परम वृक्षम  
ONE BARK + ONE BARK + ONE NATURE

पत्रांक- 1268 / 12-1 :देहरादून: दिनांक:

दिसम्बर, 2025  
1 जनवरी

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),  
भारत सरकार,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
क्षेत्रीय कार्यालय,  
25 सुभाश रोड़, देहरादून।

विषय :- जनपद-भारतमाता परियोजना "लौट-4/पैकेज-2" के तहत उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य में नजीबाबाद कोटद्वार को कोटद्वार को काटद्वार-पौड़ी से जोड़ने वाले एन0एच0-119 के कोटद्वार बाईपास के 4 लेन के निर्माण हेतु 1.10 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन। Proposal No- (FP/UK/ROAD/157584/2022)

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक संख्या-8B/UCP/06/35/2024/FC दिनांक:-05.05.2025।

महोदय,

भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार के पत्रांक 1350/12-1 दिनांक 12.11.2025 (प्रति संलग्न) के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई है, जो कि निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित की जा रही है :-

क0सं0	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अध्यारोपित शर्तें	बिन्दुवार अनुपालन आख्या
क	राज्य वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने से पूर्व जिन शर्तों का अनुपालन करना आवश्यक हैं।	
1-	प्रतिपूरक वनीकरण:-	
(क)	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 1.10 हे0 नाप भूमि (राजस्व भूमि) खाता संख्या-14 खसरा संख्या-585 ग्राम मोहिनी अकरी सकरी पुजारी मे प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्याहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।	प्रयोक्ता अभिकरण भा0रा0रा0प्रा0 द्वारा शर्त मान्य है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु रु0 5,97,340.70/- की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा कोश में जमा कर दी गई है, चालान संलग्न है। संलग्न-1
(ख)	प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य और डब्ल्यू0एल0 एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।	शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
(ग)	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र की फैंसिंग की जायेगी तथा राज्य वन विभाग उक्त क्षेत्र को ग्रहण करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त क्षेत्र की पूर्णतः फैंसिंग की गयी हो।	प्रयोक्ता अभिकरण भा0रा0रा0प्रा0 द्वारा शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
2	प्रतिपूरक वनीकरण जुटाने के लिए पहचानी गई गैर वन/सिविल सोयम भूमि को चरण-II, मंजूरी जारी करने से	प्रतिपूरक वनीकरण हेतु 1.1 हे0 गैर वनभूमि जिलाधिकारी, पौड़ी गढवाल के आदेश दिनांक

	पहले राज्य वन विभाग के पक्ष में स्थानान्तरित और परिवर्तित किया जाएगा।	8.05.2024 के माध्यम से ग्राम-मोहनी अंकरी संकरी पुजारी, पट्टी अजमेर वल्ला-4 तहसील-कोटद्वार, जिला-पौड़ी गढवाल के खसरा संख्या-585 में वन विभाग के पक्ष में स्थानान्तरित की जा चुकी है। खतौनी संलग्न है। (संलग्नक-2)
3	राज्य वन विभाग के पक्ष के हस्तांतरित एवं नामांतरित गैर-वन/सिविल सोयम भूमि को भारतीय वन अधिनियम-1927 के तहत या स्थानीय वन अधिनियम-1927 की प्रासंगिक धारा (ओ) के तहत आरक्षित वन या संरक्षित वन रूप में अधिसूचित किया जायेगा। उक्त अधिसूचना चरण-II अंतिम अनुमोदन की अनुपालन रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण भा0रा0रा0प्रा0 द्वारा शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
4	<b>शुद्ध वर्तमान मूल्य</b>	
(क)	इस सम्बन्ध में भारत क माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या-202/995 में IA नम्बर 556 दिनांक-30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998- एफ0सी0 (Pt-2) दिनांक-18.09.2023, 5-2/2006-एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007 एफ0सी0 दिनांक-05.02.2009 तथा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 अधिनियम के जारी दिशा-निर्देशानुसार राज्य सरकार, प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.10 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण भा0रा0रा0प्रा0 द्वारा इस प्रस्ताव के तहत 1.10 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य रू0 13,51,449/- की धनराशि UTR No EPH130825163534 के माध्यम से उत्तरांचल कैम्प खाते में भा0रा0रा0प्रा0 द्वारा जमा कर दी गई है, चालान संलग्न है। (संलग्नक-1 के अनुसार )
(ख)	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक षपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण भा0रा0रा0प्रा0 को यह शर्त मंजूर है तथा प्रयोक्ता अभिकरण का वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-3)
5	This in principal approval is subject To the Final outcome w.r.t. Hon'ble Supreme Court Orders in the CWP (c) No. 1164/2023 dt.03.02.2025	प्रयोक्ता अभिकरण भा0रा0रा0प्रा0 को यह शर्त मंजूर है तथा प्रयोक्ता अभिकरण का वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-4)
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वनभूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जोकि प्रस्ताव के अनुसार 98 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रत्यावर्तित वन भूमि के पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखा जाएगा जोकि प्रस्ताव के अनुसार 98 वृक्षों से अधिक नहीं होगी। पेड़ों की कटाई की लागत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग को जमा किया जायेगा तथा प्रयोक्ता अभिकरण का वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-5)
7	प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से सम्बन्धित सभी राष्ट्रीय वन प्राणी बोर्ड, राज्य वन्य प्राणी बोर्ड मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन करेगी तथा Mitigative Measures में दिये गये प्रावधानों के	प्रयोक्ता अभिकरण भा0रा0रा0प्रा0 को यह शर्त मंजूर है तथा इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा की इस परियोजना से सम्बन्धित सभी

	अनुसार Underpass/Overpass अन्य कार्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।	राष्ट्रीय वन्य प्राणी बोर्ड राज्य वन्य प्राणी बोर्ड, मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन हो तथा Mitigative Measures दिये गये प्रावधानों के अनुसार Underpass/Overpass अन्य कार्यों का अनुपालन हो तथा प्रयोक्ता अभिकरण का वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-6)
8	वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार मलबा निस्तारण नहीं किया जाएगा इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण वचन पत्र प्रदान करेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण भा0रा0रा0प्रा0 को यह शर्त मंजूर है तथा प्रयोक्ता अभिकरण का वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-7)
9	गाईडलाईन्स में दिए गए दिशा-निर्देशों के अध्याय 11 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण भा0रा0रा0प्रा0 को यह शर्त मंजूर है तथा प्रयोक्ता अभिकरण का वचन पत्र संलग्न है।
10	राज्य वन विभाग रैखिक (लिनियर) परियोजना के मामले में एक वर्ष हेतु कार्य अनुमति जारी कर सकता है। यदि कार्य की अनुमति की समाप्ति से पहले चरण II का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता है तो राज्य वन विभाग काम रोक देगा।	प्रयोक्ता अभिकरण भा0रा0रा0प्रा0 को यह शर्त मंजूर है तथा प्रयोक्ता अभिकरण का वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-8)
11	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	एफ0आर0ए0 2006 के अनुपालन सम्बन्धित प्रमाण पत्र जिला कलेक्टर से प्राप्त किया जा चुका है। (संलग्नक-9)
12	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल ( <a href="https://parivesh.nic.in">https://parivesh.nic.in</a> ) के माध्यम से द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित जमा किए जाएंगे।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि देय धनराशि ई-पोर्टल इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण ( <a href="https://parivesh.nic.in">https://parivesh.nic.in</a> ) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में जमा कर दी गयी है। (संलग्नक-10)
13	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल ( <a href="https://parivesh.nic.in/">https://parivesh.nic.in/</a> ) पर अपलोड की जाएगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि यह शर्त मंजूर है अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल ( <a href="https://parivesh.nic.in/">https://parivesh.nic.in/</a> ) अपलोड कर दी गयी है।
(ख)	राज्य वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता एंजेसी को वन भूमि सौंपने के पश्चात क्षेत्र में शर्तों का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है, लेकिन वचन पत्र के रूप में अनुपालन चरण-II अनुमोदन से पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा।	
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण भा0रा0रा0प्रा0 को यह शर्त मंजूर है तथा प्रयोक्ता अभिकरण का वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-11)
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण भा0रा0रा0प्रा0 को यह शर्त मंजूर है तथा प्रयोक्ता अभिकरण का वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-12)
3	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक	प्रयोक्ता अभिकरण भा0रा0रा0प्रा0 को यह शर्त

	वनीकरण योजना के अनुसार प्रचालित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तम्भन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याषित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	मंजूर है तथा इस प्रस्ताव के तहत 1.10 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक का लागत मूल्य रू०-5,97,340/- मांग की गयी है। जिसका भुगतान UTR No EPH130825163534 के माध्यम से प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कर दिया गया है। (संलग्नक-13)
4	राज्य वन विभाग द्वारा कार्य की अनुमति देने से पूर्व प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की टिप्पणियाँ प्राप्त करेगी। यदि लागू हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त परियोजना हेतु Proposal No WL/UK/road/466764/2024 के द्वारा NBWL की स्वीकृति दिनांक 15.04.2025 को प्राप्त की जा चुकी है। (संलग्नक-14)
5	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक/राज्य वन्यजीव बोर्ड/राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सभी शर्त, जहां भी लागू हो का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण भा०रा०रा०प्रा० को यह शर्त मंजूर है। तथा प्रयोक्ता अभिकरण का वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-15)
6	वैकल्पिक/प्रतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र में पाचवें वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (Mature Plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।	इस शर्त का पालन प्रभागीय वनाधिकारी, द्वारा किया जायेगा।
7	वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृति प्रतिपूर्ति पौधारोपण का स्थलों के बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेगें।	इस शर्त का पालन प्रभागीय वनाधिकारी, द्वारा किया जायेगा।
8	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	इस प्रस्ताव में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति लागू नहीं है तथा प्रयोक्ता अभिकरण का वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-16)
9	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण भा०रा०रा०प्रा० को यह शर्त मंजूर है। तथा प्रयोक्ता अभिकरण का वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-17)
10	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण भा०रा०रा०प्रा० को यह शर्त मंजूर है। तथा प्रयोक्ता अभिकरण वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-18)
11	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों के राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोंत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण भा०रा०रा०प्रा० को यह शर्त मंजूर है। तथा प्रयोक्ता अभिकरण वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-19)
12	सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आ०सी०सी० पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward Bearings अंकित है।	प्रयोक्ता अभिकरण भा०रा०रा०प्रा० को यह शर्त मंजूर है। तथा प्रयोक्ता अभिकरण वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-20)
13	प्रयोक्ता अभिकरण आई०आर०सी० मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों ओर और Central Verge ij Strip Plantation करेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण भा०रा०रा०प्रा० को यह शर्त मंजूर है। तथा प्रयोक्ता अभिकरण वचन पत्र

		संलग्न है। (संलग्नक-21)
14	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारें स्पीड रेग्युलेंटिंग साइनेज बनाया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण भा0रा0रा0प्रा0 को यह शर्त मंजूर है। तथा प्रयोक्ता अभिकरण वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-22)
15	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण भा0रा0रा0प्रा0 को यह शर्त मंजूर है। तथा प्रयोक्ता अभिकरण वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-23)
16	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण भा0रा0रा0प्रा0 को यह शर्त मंजूर है। तथा प्रयोक्ता अभिकरण वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-24)
17	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसियों विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण भा0रा0रा0प्रा0 को यह शर्त मंजूर है। तथा प्रयोक्ता अभिकरण वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-25)
18	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	प्रयोक्ता अभिकरण भा0रा0रा0प्रा0 को यह शर्त मंजूर है। तथा प्रयोक्ता अभिकरण वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-26)
19	The State Forest Department shall prepare Wildlife Mitigation/management Plan(WLMP) or soil and moisture.Conservation Plan (SMCP) at the cost of User Agency which should be based on the specific field requirements based on the actual cost of the interventions required to be made at the site and Not based on the indicative financial outlay totalling to 2% (for WLMP) or 0.5% (for SMCP) of the total project cost.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि यह शर्त मंजूर है तथा राज्य सरकार द्वारा पत्रांक 4209/12- दिनांक-04.06.2025 के माध्यम से इस प्रस्ताव के तहत 1.10 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए WLMP मूल्य ₹0 10500000/ तथा SMCP मूल्य ₹0 2500000/मांग की गयी। जिसका भुगतान UTR No EPH130825163534 के माध्यम से प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जा चुका है। (संलग्नक-27)
20	The User Agency in consultation with the State Government shall create and maintain alternate habitat/home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project.Bird's nests artificially made out of eco-friendly material shall be user in the area,including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project, if applicable.	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मंजूर है तथा प्रयोक्ता अभिकरण का वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-28)
21	The user agency shall assist the State Government in conservation and preservation of the flora and fauna of the area in accordance with the plan prepared by the Chief Wildlife Warden of the State, if applicable-	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मंजूर है तथा प्रयोक्ता अभिकरण का वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-29)
22	The User Agency shall ensure that because of this project, no damage is caused to the wildlife available in the area, if applicable.	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मंजूर है तथा प्रयोक्ता अभिकरण का वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-30)
23	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्व विर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मंजूर है तथा प्रयोक्ता अभिकरण का वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-31)

	दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। गला निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	
24	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मंजूर है तथा प्रयोक्ता अभिकरण का वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-32)
25	प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से सम्बन्धित सभी अधिनियमों नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों, माननीय न्यायालय आदेश (आदेशों) एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश (आदेशों) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी यदि लागू हो।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मंजूर है तथा प्रयोक्ता अभिकरण का वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-33)
26	उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा एवं (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के अन्तर्गत निर्धारित कार्यवाही की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मंजूर है तथा प्रयोक्ता अभिकरण का वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-34)

अतः प्रभागीय वनाधिकारी/प्रस्तावक विभाग के अनुरोध के दृष्टिगत प्रकरण को संस्तुति सहित इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि विषयांकित प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 यथासंशोधित-2023 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न- यथोपरि।

भक्तदीय,  
(डॉ० एस०पी० सुबुद्धि)  
प्रमुख वन संरक्षक  
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या- 1268 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।
3. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी०आई०यू०, नजीबाबाद जिला-बिजनौर।

(डॉ० एस०पी० सुबुद्धि)  
प्रमुख वन संरक्षक  
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।



# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

Tel/Fax No. 01382.228467

E.mail.dfo lansdowne@yahoo.com

पत्रांक:- 1350/12-1, दिनांक, कोटद्वार, 22/12/2025

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,  
वन संरक्षण इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कॉलोनी,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:-

जनपद-भारतमाता परियोजना "लौट-4/पैकेज-2" के तहत उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य में नजीबाबाद कोटद्वार को कोटद्वार को कोटद्वार-पौड़ी से जोड़ने वाले एन0एच0-119 के कोटद्वार बाईपास के 4 लेन के निर्माण हेतु 1.10 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन। Proposal No- (FP/UK/ROAD/157584/2022)

संदर्भ:-

आपका पत्रांक-2867/12-1, दिनांक-29.05.2025 एवं भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक संख्या-8B/UCP/06/35/2024/FC दिनांक-05.05.2025.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है, कि जनपद-पौड़ी गढवाल के अन्तर्गत भारत माला परियोजना ल0-4 पैकेज-2 के तहत उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्य में नजीबाबाद-कोटद्वार को कोटद्वार-पौड़ी मार्ग से जोड़ने वाले एनएच-119 के कोटद्वार बाईपास के 4-लेन के निर्माण कार्य हेतु 1.1 हे0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी0आई0यू0, नजीबाबाद जिला बिजनोर को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा अपने पत्र संख्या- 8B/UCP/06/35/2024/FC दिनांक:-05.05.2025 दिनांक:-17.02.2025 से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा बिन्दुवार अनुपालन आख्या संलग्नों सहित कार्यालय को प्रस्तुत की गयी है। जो 02 प्रतियों में मूल प्रति सहित आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

क0 सं0	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अध्यारोपित शर्तें	बिन्दुवार अनुपालन आख्या
क	राज्य वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता एजेन्सी को वन भूमि सौंपने से पूर्व जिन शर्तों का अनुपालन करना आवश्यक हैं।	
1.	प्रतिपूरक वनीकरण:-	
(क)	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 1.10 हे0 नाप भूमि (राजस्व भूमि) खाता संख्या-14 खसरा संख्या-585 ग्राम मोहिनी अकरी संकरी पुजारी में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्याहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।	प्रयोक्ता अभिकरण भा0रा0रा0प्रा0 द्वारा शर्त मान्य है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु रु0 597340.70/- की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा कोष में जमा कर दी गई है, चालान संलग्न है। संलग्न-1
(ख)	प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य और डब्ल्यू0एल0 एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।	शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
(ग)	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र की फैंसिंग की जायेगी तथा राज्य वन विभाग उक्त क्षेत्र को ग्रहण करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त क्षेत्र की पूर्णतः फैंसिंग की गयी हो।	प्रयोक्ता अभिकरण भा0रा0रा0प्रा0 द्वारा शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
2	प्रतिपूरक वनीकरण जुटाने के लिए पहचानी गई गैर वन/सिविल सोयम भूमि को चरण-II मंजूरी जारी करने से पहले राज्य वन विभाग के पक्ष में स्थानान्तरित और परिष्कृत किया जाएगा।	प्रतिपूरक वनीकरण हेतु 1.1 हे0 गैर वनभूमि जिलाधिकारी, पौड़ी गढवाल के आदेश दिनांक 8.05.2024 के माध्यम से ग्राम-मोहनी अकरी संकरी पुजारी, पट्टी अजमेर बल्ला-4 तहसील-कोटद्वार, जिला-पौड़ी गढवाल के खसरा संख्या-585 में वन विभाग के पक्ष में स्थानान्तरित की जा चुकी हैं। खतौनी संलग्न है। (संलग्नक-2)
	राज्य वन विभाग के पक्ष के हस्तांतरित एवं नामांतरित गैर-वन/सिविल सोयम भूमि को भारतीय वन अधिनियम-1927 के तहत या स्थानीय वन अधिनियम-1927 की प्रासंगिक धारा (ओ) के तहत आरक्षित वन या संरक्षित वन रूप में अधिसूचित किया जायेगा। उक्त अधिसूचना चरण-II अंतिम अनुमोदन की अनुपालन रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण भा0रा0रा0प्रा0 द्वारा शर्त का अनुपालन किया जाएगा।

प्रभागीय वनाधिकारी,

कोटद्वार।

9-12-25

12/12/25

4	शुद्ध वर्तमान मूल्य	
(क)	इस सम्बन्ध में भारत क माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP ( C ) संख्या-202/995 में IA नम्बर 556 दिनांक-30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्राक 5-1/1998- एफ0सी0 (Pt.2) दिनांक-18.09.2023, 5-2/2006-एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007 एफ0सी0 दिनांक-05.02.2009 तथा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 अधिनियम के जारी दिशा-निर्देशानुसार राज्य सरकार, प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.10 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शु वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण भा0रा0रा0प्रा0 द्वारा इस प्रस्ताव के तहत 1.10 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य रु0 13.51.449/- की धनराशि UTR No EPH130825163534 के माध्यम से उत्तरांचल कैम्प खाते मे भा0रा0रा0प्रा0 द्वारा जमा कर दी गई है, चालान संलग्न है। (संलग्नक-1 के अनुसार )
(ख)	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण भा0रा0रा0प्रा0 को यह शर्त मंजूर है तथा प्रयोक्ता अभिकरण का वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-3)
5	This in principal approval is subject To the Final outcome w.r.t. Hon'ble Supreme Court Orders in the CWP (c) No. 1164/2023 dt.03.02.2025	प्रयोक्ता अभिकरण भा0रा0रा0प्रा0 को यह शर्त मंजूर है तथा प्रयोक्ता अभिकरण का वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-4)
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वनभूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जोकि प्रस्ताव के अनुसार 98 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण मे कटेगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रत्यावर्तित वन भूमि के पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखा जाएगा जोकि प्रस्ताव के अनुसार 98 वृक्षों से अधिक नहीं होगी। पेड़ों की कटाई की लागत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग को जमा किया जायेगा तथा प्रयोक्ता अभिकरण का वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-5)
7	प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से सम्बन्धित सभी राष्ट्रीय वन प्राणी बोर्ड, राज्य वन्य प्राणी बोर्ड मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन करेगी तथा Mitigative Measures मे दिये गये प्रावधानों के अनुसार Underpass / Overpass अन्य कार्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण भा0रा0रा0प्रा0 को यह शर्त मंजूर है तथा इस शर्त के अनुपालन मे प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा की इस परियोजना से सम्बन्धित सभी राष्ट्रीय वन्य प्राणी बोर्ड राज्य वन्य प्राणी बोर्ड, मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन हो तथा Mitigative Measures दिये गये प्रावधानो के अनुसार Underpass / Overpass अन्य कार्यों का अनुपालन हो तथा प्रयोक्ता अभिकरण का वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-6)
8	वन क्षेत्र मे किसी भी प्रकार मलबा निस्तारण नहीं किया जाएगा इस सम्बन्ध मे प्रयोक्ता अभिकरण वचन पत्र प्रदान करेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण भा0रा0रा0प्रा0 को यह शर्त मंजूर है तथा प्रयोक्ता अभिकरण का वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-7)
9	गाईडलाईन्स में दिए गए दिशा-निर्देशों के अध्याय 11 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण भा0रा0रा0प्रा0 को यह शर्त मंजूर है तथा प्रयोक्ता अभिकरण का वचन पत्र संलग्न है।
10	राज्य वन विभाग रैखिक (लिनियर) परियोजना के मामले में एक वर्ष हेतु कार्य अनुमति जारी कर सकता है। यदि कार्य की अनुमति की समाप्ति से पहले चरण 11 का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता है तो राज्य वन विभाग काम रोक देगा।	प्रयोक्ता अभिकरण भा0रा0रा0प्रा0 को यह शर्त मंजूर है तथा प्रयोक्ता अभिकरण का वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-8)

11	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	एफ0आर0ए0 2006 के अनुपालन सम्बन्धित प्रमाण पत्र जिला कलेक्टर से प्राप्त किया जा चुका है। (संलग्नक-9)
12	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल ( <a href="https://parivesh.nic.in">https://parivesh.nic.in</a> ) के माध्यम से द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित जमा किए जाएंगे।	देय धनराशि ई-पोर्टल इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण ( <a href="https://parivesh.nic.in">https://parivesh.nic.in</a> ) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में जमा कर दी गयी है। (संलग्नक-10)
13	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल ( <a href="https://parivesh.nic.in/">https://parivesh.nic.in/</a> ) पर अपलोड की जाएगी।	यह शर्त मंजूर है अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल( <a href="https://parivesh.nic.in/">https://parivesh.nic.in/</a> ) अपलोड कर दी गयी है।
(ख)	राज्य वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता एंजेसी को वन भूमि सौपने के पश्चात क्षेत्र में शर्तों का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है, लेकिन वचन पत्र के रूप में अनुपालन चरण-ए अनुमोदन से पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा।	
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण भा0रा0रा0प्रा0 को यह शर्त मंजूर है तथा प्रयोक्ता अभिकरण का वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-11)
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण भा0रा0रा0प्रा0 को यह शर्त मंजूर है तथा प्रयोक्ता अभिकरण का वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-12)
3	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचालित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तम्भन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुसूचित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	प्रयोक्ता अभिकरण भा0रा0रा0प्रा0 को यह शर्त मंजूर है तथा इस प्रस्ताव के तहत 1.10 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक का लागत मूल्य रु0-597340/- मांग की गयी है। जिसका भुगतान UTR No EPH130825163534 के माध्यम से प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कर दिया गया है। (संलग्नक-13)
4	राज्य वन विभाग द्वारा कार्य की अनुमति देने से पूर्व प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की टिप्पणियाँ प्राप्त करेगी। यदि लागू हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त परियोजना हेतु Proposal No WL/UK/road/466764/2024 के द्वारा NBWL की स्वीकृति दिनांक 15.04. 2025 को प्राप्त की जा चुकी है। (संलग्नक-14)
5	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक/राज्य वन्यजीव बोर्ड/राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सभी शर्त,जहां भी लागू हो का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण भा0रा0रा0प्रा0 को यह शर्त मंजूर है। तथा प्रयोक्ता अभिकरण का वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-15)
6	वैकल्पिक/प्रतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र में पाचवें वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण ( <b>Mature Plantation</b> ) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।	इस शर्त का पालन प्रभागीय वनाधिकारी, द्वारा किया जायेगा।
7	वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृति प्रतिपूर्ति पौधारोपण क स्थलों के बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेगें।	इस शर्त का पालन प्रभागीय वनाधिकारी, द्वारा किया जायेगा।
8	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	इस प्रस्ताव में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति लागू नहीं है तथा प्रयोक्ता अभिकरण का वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-16)
9	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण भा0रा0रा0प्रा0 को यह शर्त मंजूर है। तथा प्रयोक्ता अभिकरण का वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-17)

AGENCY COPY	
  	
NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds	
Date : 17-06-2025	
Agency Name.	NHAI PIU MEERUT
Application No.	61157584155
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/35/2024/FC8B/UCP/06/35/2024/F
Location.	UTTARANCHAL
Address.	A-1, Vaishno Dham, Near Gayatri Heights, Kankerghera Meerut
Amount(in Rs)	14948789.7/-
Amount in Words :One Crore Forty-Nine Lakh Forty-Eight Thousand Seven Hundred and Ninety Rupees Only	
NEFT/RTGS to be made as per following details;	
Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1508961157584155 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027
<ul style="list-style-type: none"> <li>This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only</li> </ul>	

BANK COPY	
  	
NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds	
Date : 17-06-2025	
Agency Name.	NHAI PIU MEERUT
Application No.	61157584155
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/35/2024/FC8B/UCP/06/35/2024/F
Location.	UTTARANCHAL
Address:	A-1, Vaishno Dham, Near Gayatri Heights, Kankerghera Meerut
Amount(in Rs)	14948789.7/-
Amount in Words :One Crore Forty-Nine Lakh Forty-Eight Thousand Seven Hundred and Ninety Rupees Only	
NEFT/RTGS to be made as per following details;	
Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1508961157584155 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027
<ul style="list-style-type: none"> <li>This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only</li> </ul>	

**Note:** After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

परियोजना निदेशक / Project Director  
 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  
 National Highways Authority of India  
 पी०आई०यू० नजीबाबाद, जिला-बिजनौर (यूपी)  
 PIU- Najibabad, Distt.-Bijnor (U.P.)

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help

no.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IM-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FPI/UP/ROAD/157584/2022 Construction of 4-laning of Koldwar Bypass of NH-119 connecting Najibabad-Koldwar to Koldwar-Pauri road in the state of Uttar Pradesh and Ultrafund under Bharatmala Pariyojana Lot-3(Package-2)	ROAD1575842022155	61157584155	05 May 2025	CA: 597340.7/- PCA: 0/- Safety Zone: 0/- NPV: 1351449/- Soil and Moisture Conservation Plan: 2500000/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 1498789.7/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Mode of Payment Challan Generated On Transaction Date :17 Jun 2025 : Union Bank Of India : NEFT/RTGS (Challan) :17 Jun 2025 :13 Aug 2025	Demand Letter Generated Challan
2	FPI/UP/ROAD/43357/2025 Forest Land Diversion proposal for Improvement and Up-gradation to 4-lane configuration of Meerut-Nazibabad section of NH-119 between Km 39-165 to Km 78+635 in the state of Uttar Pradesh.	ROAD433572025164	6143357164	16 Aug 2023	CA: 2327599/- PCA: 0/- Safety Zone: 0/- NPV: 279930074/- NA: 0/- NA: 0/- NA: 0/- Total: 303187673/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Mode of Payment Challan Generated On Transaction Date :29 Jan 2024 : Union Bank Of India : NEFT/RTGS (Challan) :29 Jan 2024 :02 Feb 2024	Demand Letter Generated Challan
3	FPI/UP/ROAD/443597/2021 Development of section of NH-119 from 2-lane to 2-lane with paved shoulder under Bharatmala Pariyojana (Lot-4/package-2) in District Bijnor, state of Uttar Pradesh.	ROAD4435972021300	61143597300	14 Dec 2022	CA: 0/- PCA: 0/- Safety Zone: 0/- NPV: 0/- Other Charges1: 13818350/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 13818350/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Mode of Payment Challan Generated On Transaction Date :19 Apr 2023 : Union Bank Of India : NEFT/RTGS (Challan) :16 May 2023 :11 May 2023	Demand Letter Generated Challan

परियोजना निदेशक/Project Director  
 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  
 National Highways Authority of India  
 प्लॉट नं. 20, राजमार्ग, नरम-बिजनौर (उ.प्र.)  
 PIU- Najibabad, Distt.-Bijnor (U.P.)

// आदेश //

उपजिलाधिकारी, कोटद्वार ने अपने कार्यालय पत्र सं०-85/स०का०-क्षति०यू० /2023-24 दिनांक 02-05-2024 के द्वारा उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य में नजीबाबाद-कोटद्वार से कोटद्वार पौड़ी मार्ग को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 119 के कोटद्वार बाईपास निर्माण हेतु ग्राम मोहनी अंकरी संकरी पुजारी, पट्टी अजमेर वल्ला-4, तहसील कोटद्वार में क्षतिपूरक वृक्षरोपण हेतु भूमि चयनित कर भू-प्रस्ताव निम्नवत् प्रस्तुत किया है-

- प्रस्तावित भूमि ग्राम मोहनी अंकरी संकरी पुजारी, पट्टी अजमेर वल्ला-4, तहसील कोटद्वार जनपद पौड़ी गढ़वाल की नॉन जेड०ए० खतीनी खाता सं०-14 के खेत सं०-585 रक्वा 1.509 हे० मध्ये 1.103 हे० भूमि श्रेणी-9(ड.) बंजर के रूप में दर्ज अभिलेख है, प्रस्तावित की गई है।

ग्राम/पट्टी का नाम	नॉन जेड०ए० खाता संख्या	खसरा संख्या	कुल क्षेत्रफल	प्रस्तावित क्षेत्रफल	श्रेणी
ग्राम मोहनी अंकरी संकरी पुजारी पट्टी अजमेर वल्ला-4	14	585	1.509 हे०	1.103 हे०	श्रेणी-9(ड.) बंजर

- प्रस्तावित भूमि उ०प०ज०वि० एव भू०व्यव०अधि० 1950 की धारा 132 के अन्तर्गत आने वाली सार्वजनिक भूमि नहीं है।
- प्रस्तावित भूमि में वर्तमान में कोई पेड़, मकान आदि नहीं है।
- प्रस्तावित भूमि के सम्बन्ध में किसी भी ग्रामवासी को आपत्ति नहीं है।
- प्रस्तावित भूमि वर्णित कार्य हेतु उपयुक्त पायी गई है।

अतः उक्तानुसार ग्राम मोहनी अंकरी संकरी पुजारी, पट्टी अजमेर वल्ला-4, तहसील कोटद्वार जनपद पौड़ी गढ़वाल की नॉन जेड०ए० खतीनी खाता सं०-14 के खेत सं०-585 रक्वा 1.509 हे० मध्ये 1.103 हे० भूमि श्रेणी-9(ड.) बंजर के रूप में दर्ज अभिलेख है, को प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।



(डॉ० आशीष चौहान)  
जिलाधिकारी,  
गढ़वाल।

!! कार्यालय जिलाधिकारी गढ़वाल !!

संख्या- 251 /08-एल०ए०सी०-भू०हस्ता०/2023 दिनांक पौड़ी मई 08 2024

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-सचिव, राजस्व अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- सचिव, राष्ट्रीय राजमार्ग, लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 3-आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 4-परियोजन निदेशक, प०का०ई०-नजीबाबाद।
- 5-उपजिलाधिकारी, यमकेश्वर।
- 6-प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।
- 7-प्रभागीय वनाधिकारी, लेन्सडॉन वन प्रभाग, कोटद्वार।
- 8-तहसीलदार, यमकेश्वर।
- 9-कार्यालय प्रति।



जिलाधिकारी,  
गढ़वाल।

नकल खतीनी नॉन जेड 050

ग्राम मोदी झकपी, खकपी, खुजपी पट्टी-खतपरे वरु ५

तहसील-कुम्भकर्ण जीरट्टर

जिला-पीडी पठवाल

श्री १ (उ)  
खतपरे

खता संख्या	कारतकार का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	तीक कर रकम	7	8
14	खनविभागा 2 खतपरे	3 585	4 1.103 हे०	5 खिजानी 6	7 -	8 -
	मजदिया खतपरे के कुम्भकर्ण खेडो वरु से दोपार निया प्रपाई। क्षतः- गिन खेडो वरु खतीनी नकल करार सेवा से खिजलेई।					

कुम्भकर्ण पट्टी-खतपरे  
ता० 30 नि०  
पट्टी-खतपरे तहसील-कुम्भकर्ण  
पीडी पठवाल

**Name of the Project:** Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to Kotdwar-Pauri road in the state of Uttar Pradesh and Uttrakhand under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pakage-2

**Name of the Project Proponent/User Agency:** M/s National Highways Authority of India

**UNDERTAKING**


**(Compliance of final outcome w.r.t. Hon'ble Supreme Court Orders in the CWP (C) No 1164/2023 dated 03.02.2025)**

It is certified that, **Shankesh Sharma, Project Director, NHAI, PIU, Najibabad** has applied for diversion of **1.1ha** forest land for Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to Kotdwar-Pauri road in the state of Uttar Pradesh and Uttrakhand under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pakage-2

I, hereby, on behalf of National Highways Authority of India undertake to pay the Additional Net Present Value (NPV) of the above forest land and other cost if any as decided by the State Government or as per decision of the Hon'ble Supreme Court. In case of revision of rates the difference amount will also be paid by the user agency.

**Date: 15.09.2025**

**Place: Najibabad**



**Seal and Signature of**

**Authorized Signatory**

**Name of the Project:** Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to Kotdwar-Pauri road in the state of Uttar Pradesh and Utrakhand under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pakage-2

**Name of the Project Proponent/User Agency:** M/s National Highways Authority of India


**Undertaking FOR Felling Minimum Tree**

It is to certified that, **Shankesh Sharma, Project Director, NHAI, PIU, Najibabad** has applied for diversion of **1.1ha** forest land for Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to Kotdwar-Pauri road in the state of Uttar Pradesh and Utrakhand under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pakage-2

I, hereby, on behalf of National Highways Authority of India undertake minimum tree (i.e. 98 nos.) will be felled for construction of road.

**Date: 15.09.2025**

**Place: Najibabad**



**Seal and Signature of**

**Authorized Signatory**

**Name of the Project:** Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to Kotdwar-Pauri road in the state of Uttar Pradesh and Uttrakhand under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pakage-2

**Name of the Project Proponent/User Agency:** M/s National Highways Authority of India

**Undertaking For Compliance of Direction and Mitigative measure suggested by NBWL and**


**CWLW**

It is to certified that, **Shankesh Sharma, Project Director, NHAI, PIU, Najibabad** has applied for diversion of **1.1ha** forest land for Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to Kotdwar-Pauri road in the state of Uttar Pradesh and Uttrakhand under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pakage-2

I, hereby, on behalf of National Highways Authority of India undertake that all direction given by National WildLife Board or State Wild Life Board and Chief Wild Life Board shall be followed and also ensure compliance of the construction of Under passes / over passes and other works proposed in mitigative measures.

**Date: 15.09.2025**

**Place: Najibabad**

  
**Seal and Signature of**  
**Authorized Signatory**

**Name of the Project:** Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to Kotdwar-Pauri road in the state of Uttar Pradesh and Uttrakhand under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pakage-2

**Name of the Project Proponent/User Agency:** M/s National Highways Authority of India

**Undertaking For No Muck Disposal In Forest Land**

It is to certified that, **Shankesh Sharma, Project Director, NHAI, PIU, Najibabad** has applied for diversion of **1.1ha** forest land for Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to Kotdwar-Pauri road in the state of Uttar Pradesh and Uttrakhand under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pakage-2

I, hereby, undertake that No muck shall be disposed in any kind of forest land and disposed as per muck disposal plan submitted along with forest proposal.

**Date: 15.09.2025**

**Place: Najibabad**



**Seal and Signature of  
Authorized Signatory**

**Name of the Project:** Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to Kotdwar-Pauri road in the state of Uttar Pradesh and Utrtrakhand under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pakage-2

**Name of the Project Proponent/User Agency:** M/s National Highways Authority of India


**Undertaking For Obtaining Stage -II clearance within 1 year**

It is to certified that, **Shankesh Sharma, Project Director, NHAI, PIU, Najibabad** has applied for diversion of **1.1ha** forest land for Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to Kotdwar-Pauri road in the state of Uttar Pradesh and Utrtrakhand under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pakage-2

I, hereby, on behalf of National Highways Authority of India undertake that Stage-II shall be obtained within 1 year from date of issue of working permission and state government shall stop work if stage-II clearance was not obtained by user agency.

**Date: 15.09.2025**

**Place: Najibabad**



**Seal and Signature of**

**Authorized Signatory**

FORM-I  
(for linear projects)  
Government of Uttarakhand  
Office of the District Magistrate,  
District Pauri Garhwal

\*\*\*\*

No. 02/08-LAC/2024

Dated 08.05.2024

**TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.1 hectares reserve forest land proposed to be diverted in favour of National Highways Authority of India, PIU, Najibabad for "Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to Kotdwar-Pauri road in the state of Uttar Pradesh and Uttarakhand under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pakage-2", falls in the jurisdiction of village Kotdwar- Saneh, Tehsil Kotdwar, District Pauri Garhwal in the State of Uttarakhand.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.1 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Sub-Division Level Committee(s) are enclosed as annexure.....A.....
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Ward Sabha have given their consent to it;
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities

Encl: As above.

(Dr. Ashish Chauhan)

District Magistrate

Pauri Garhwal

पूरि गढ़वाल

डिस्ट्रिक्ट

## कार्यालय जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल

वनाधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत जिला स्तरीय समिति पौड़ी गढ़वाल की बैठक के बिन्दु :




आज दिनांक 08.08.2024 को जिलाधिकारी कार्यालय पौड़ी गढ़वाल में वनाधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रस्तावित भारतमाला परियोजना लॉट-4/पैकेज-2 के तहत उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में नजीबाबाद-कोटद्वार को कोटद्वार-पौड़ी रोड से जोड़ने वाले एनएच-119 के कोटद्वार बाईपास के 4-लेन का निर्माण हेतु जनपद पौड़ी गढ़वाल में 1.1 है० आरक्षित वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, नजीबाबाद (प्रयोक्ता अभिकरण) के पक्ष में प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु बैठक आयोजित की गयी। इस बैठक में प्रस्तावित उपरोक्त राजमार्ग एनएच-119 के कोटद्वार बाईपास के 4-लेन का निर्माण हेतु जनपद पौड़ी गढ़वाल में **1.1 है०** आरक्षित वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, नजीबाबाद (प्रयोक्ता अभिकरण) के पक्ष में प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। उक्त भूमि का सर्व सम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बंधित प्रभागीय वनाधिकारी, लैंसडाउन वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया की वनाधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत किसी भी दावेदार का आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः इस सम्बन्ध में जिला स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है। बैठक में सर्व सम्मति से उक्त राजमार्ग हेतु **1.1 है०** आरक्षित वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, नजीबाबाद (प्रयोक्ता अभिकरण) के पक्ष में प्रत्यावर्तन किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

  
जिलाधिकारी/अध्यक्ष

जिला स्तरीय वनाधिकार समिति  
पौड़ी गढ़वाल

वनाधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रस्तावित भारतमाला परियोजना लॉट-4/पैकेज-2 के तहत उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में नजीबाबाद-कोटद्वार को कोटद्वार-पौड़ी रोड से जोड़ने वाले एनएच-119 के कोटद्वार बाईपास के 4-लेन का निर्माण हेतु जनपद पौड़ी गढ़वाल में 1.1 है० आरक्षित वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, नजीबाबाद (प्रयोक्ता अभिकरण) के पक्ष में प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, पौड़ी गढ़वाल द्वारा बैठक दिनांक .....08.05.2024.....को आयोजित की गयी। बैठक में निम्न अधिकारी / सदस्य उपस्थित हुए।

क्रमांक	अधिकारी/सदस्य का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1.	श. आशीष चौहान	जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल (अध्यक्ष)	 जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल
2.	श्री नवीन चन्द्र पन्त (उम्मेद चौधरी)	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।	 प्रभागीय वनाधिकारी लैन्सडौन वन प्रभाग कोटद्वार (गढ़वाल)
3.		जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल (सदस्य सचिव)	 जिला समाज कल्याण अधिकारी पौड़ी गढ़वाल
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			

**परियोजना का नाम:** भारतमाला परियोजना लॉट-4/पैकेज-2 के तहत उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में नजीबाबाद-कोटद्वार को कोटद्वार-पौड़ी रोड से जोड़ने वाले एनएच-119 के कोटद्वार बाईपास के 4-लेन का निर्माण

## कार्यालय उप जिलाधिकारी, कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल

अनुसूचित जनजाति और परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

### प्रमाण पत्र

### उपखण्ड स्तरीय समिति, कोटद्वार

भारतमाला परियोजना लॉट-4/पैकेज-2 के तहत उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में नजीबाबाद-कोटद्वार कोटद्वार-पौड़ी रोड से जोड़ने वाले एनएच-119 के कोटद्वार बाईपास के 4-लेन का निर्माण हेतु तहसील कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल में 1.1 है० आरक्षित वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, नजीबाबाद (प्रयोक्ता अभिकरण) के पक्ष में प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु बैठक आयोजित की गयी। इस बैठक में प्रस्तावित उपरोक्त राजमार्ग एनएच-119 के कोटद्वार बाईपास के 4-लेन का निर्माण हेतु जनपद पौड़ी गढ़वाल में 1.1 है० आरक्षित वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, नजीबाबाद (प्रयोक्ता अभिकरण) के पक्ष में प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, कोटद्वार की दिनांक 01/04/2024 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री सोहन सिंह सैनी, उप जिलाधिकारी, कोटद्वार एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि भारतमाला परियोजना लॉट-4/पैकेज-2 के तहत उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में नजीबाबाद-कोटद्वार को कोटद्वार-पौड़ी रोड से जोड़ने वाले एनएच-119 के कोटद्वार बाईपास के 4-लेन का निर्माण हेतु तहसील कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल में 1.1 है० आरक्षित वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, नजीबाबाद (प्रयोक्ता अभिकरण) के पक्ष में प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, कोटद्वार द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती हैं।

**परियोजना का नाम:** भारतमाला परियोजना लॉट-4/पैकेज-2 के तहत उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में नजीबाबाद-कोटद्वार को कोटद्वार-पौड़ी रोड से जोड़ने वाले एनएच-119 के कोटद्वार बाईपास के 4-लेन का निर्माण

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कोटद्वार परिक्षेत्र के अन्तर्गत भारतमाला परियोजना लॉट-4/पैकेज-2 के तहत उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में नजीबाबाद-कोटद्वार को कोटद्वार-पौड़ी रोड से जोड़ने वाले एनएच-119 के कोटद्वार बाईपास के 4-लेन का निर्माण हेतु तहसील कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल में 1.1 हे० आरक्षित वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, नजीबाबाद (प्रयोक्ता अभिकरण) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

क्रमांक	अधिकारी/सदस्य का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1.	श्री सौदम सिंह मैनी	उपजिलाधिकारी, कोटद्वार (अध्यक्ष)	
2.	श्रीमती पूजा प्याल	उप प्रभागीय वनाधिकारी, कोटद्वार (सदस्य)	
3.	श्री संजीव पाल	सहायक समाज कल्याण अधिकारी, कोटद्वार (सदस्य सचिव)	
4.			
5.			
6.			

प्रतिलिपि: जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील - कोटद्वार, जनपद - पौड़ी गढ़वाल

**परियोजना का नाम:** भारतमाला परियोजना लॉट-4/पैकेज-2 के तहत उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में नजीबाबाद-कोटद्वार को कोटद्वार-पौड़ी रोड से जोड़ने वाले एनएच-119 के कोटद्वार बाईपास के 4-लेन का निर्माण

**वनाधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र**

**नगर निगम कोटद्वार, वार्ड नं० 1 - ग्राम - कोटद्वार सनेह**

**तहसील - कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड**

भारतमाला परियोजना लॉट-4/पैकेज-2 के तहत उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में नजीबाबाद-कोटद्वार को कोटद्वार-पौड़ी रोड से जोड़ने वाले एनएच-119 के कोटद्वार बाईपास के 4-लेन का निर्माण हेतु तहसील कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल में 1.1 हे० आरक्षित वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, नजीबाबाद (प्रयोक्ता अभिकरण) के पक्ष में प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु बैठक आयोजित की गयी। इस बैठक में प्रस्तावित उपरोक्त राजमार्ग एनएच-119 के कोटद्वार बाईपास के 4-लेन का निर्माण हेतु जनपद पौड़ी गढ़वाल में 1.1 हे० आरक्षित वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में वार्ड नं० 1 नगर निगम कोटद्वार द्वारा दिनांक 14/03/2024 को संपन्न वार्ड नं० 1 सनेह की बैठक में प्रयोक्ता एजेसी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रणाम पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई यह की वनाधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा अथवा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। उपस्थित सभी द्वारा स्पष्ट किया गया की उक्त में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरांत वार्ड नं० 1 सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि वार्ड (कोटद्वार सनेह) के वासियों को उक्त वन भूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/संस्था को परियोजना के निर्माण हेतु दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।






प्रमाणित किया जो सत्य और सही है।

  
हरीश नेगी  
'पार्षद'  
वार्ड नं० 1  
नगर निगम कोटद्वार

परियोजना का नाम: भारतमाला परियोजना लॉट-4/पैकेज-2 के तहत उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में नजीबाबाद-कोटद्वार को कोटद्वार-पौड़ी रोड से जोड़ने वाले एनएच-119 के कोटद्वार बाईपास के 4-लेन का निर्माण

दिनांक 14/03/2024 को वार्ड सभा की संपन्न बैठक की उपस्थिति

वार्ड नं. 1, नगर निगम कोटद्वार:

क्रमांक	.....सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	हरीश सिंह नेगी पार्षद वार्ड 1	
2.	सुशांत नेगी वार्ड 1	
3.	नवीन सिंह रावत	
4.	सुशांत उरियाल	
5.	अनुज कुमार नेगी	
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		

**Name of the Project:** Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to Kotdwar-Pauri road in the state of Uttar Pradesh and Uttrakhand under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pakage-2

**Name of the Project Proponent/User Agency:** M/s National Highways Authority of India


**Undertaking For Legal Status Of Forest Land**

It is to certified that, **Shankesh Sharma, Project Director, NHAI, PIU, Najibabad** has applied for diversion of **1.1ha** forest land for Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to Kotdwar-Pauri road in the state of Uttar Pradesh and Uttrakhand under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pakage-2.

I, hereby, undertake that Legal status of diverted forest land shall remain unchanged.

**Date:** 15.09.2025

**Place:** Najibabad



Seal and Signature of  
Authorized Signatory

**Name of the Project:** Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to Kotdwar-Pauri road in the state of Uttar Pradesh and Utrrakhand under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pakage-2

**Name of the Project Proponent/User Agency:** M/s National Highways Authority of India


**Undertaking For Possession Of Diverted Forest Land**

It is to certified that, **Shankesh Sharma, Project Director, NHAI, PIU, Najibabad** has applied for diversion of **1.1ha** forest land for Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to Kotdwar-Pauri road in the state of Uttar Pradesh and Utrrakhand under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pakage-2.

I, hereby, undertake that Diverted forest land shall be taken over after possession of non-forest land required in the project.

**Date: 15.09.2025**

**Place: Najibabad**



**Seal and Signature of**

**Authorized Signatory**

**F.No.WL-6/10/2025- WL**  
Government of India  
Ministry of Environment, Forest and Climate Change  
(Wildlife Division)

2<sup>nd</sup> Floor, Vayu Wing,  
Indira Paryavaran Bhawan,  
Jor Bagh Road, New Delhi 110003.

**Date: 15<sup>th</sup> April, 2025.**

**To,**

**All Members  
Standing Committee of NBWL**

**Sub:** Minutes of 82<sup>nd</sup> Meeting of the Standing Committee of National Board for Wild Life-reg.

Sir/Madam,

Kindly find enclosed a copy of the Minutes of 82<sup>nd</sup> Meeting of the Standing Committee of National Board for Wild Life held on **12<sup>th</sup> March, 2025** under the Chairmanship of Hon'ble Minister of Environment, Forest and Climate Change, Government of India.

Yours faithfully,



**(Dr. Sudheer Chintalapati)**

Scientist 'E'

**Email:** sudheer.ch@gov.in

**Distribution:**

1. Secretary, MoEF & CC
2. DGF&SS, MoEF&CC
3. ADGF (WL), MOEF&CC
4. ADGF (FC), MoEF&CC
5. Member Secretary, NTCA
6. Director/IGF, PE Division, MoEF&CC
7. Director, WII, Dehradun
8. Director, GEER Foundation, Gandhinagar
9. Dr. R. Sukumar, Member, NBWL
10. Dr. H.S. Singh, Member, NBWL
11. Secretary, Environment, Forest, Science and Technology Department, Govt. of Andhra Pradesh.

**Copy to:**

1. PS to Hon'ble MoEF&CC.
2. PS to Hon'ble MoS, EF&CC.
3. PPS to Secretary, MoEF& CC
4. PPS to DGF&SS, MoEF&CC.
5. PSO to Addl. DGF (WL)/PPS to IGF (WL)/Sr.PPS to DIGF (WL).
6. **The Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary Forest Department, The PCCF and HoFF, Andhra Pradesh/ Arunachal Pradesh/ Assam/ Gujarat/ Himachal Pradesh/ Ladakh/ Karnataka/ Kerala / Madhya Pradesh/ Maharashtra/ Manipur/ Mizoram/ Odisha/ Rajasthan/ Tamil Nadu/ Telangana / Uttarakhand/ Uttar Pradesh/ West Bengal.**
7. **The PCCF and HoFF, Andhra Pradesh/ Arunachal Pradesh/ Assam/ Gujarat/ Himachal Pradesh/ Ladakh/ Karnataka/ Kerala / Madhya Pradesh/ Maharashtra/ Manipur/ Mizoram/ Odisha/ Rajasthan/ Tamil Nadu/ Telangana / Uttarakhand/ Uttar Pradesh/ West Bengal.**
8. **The Chief Wild Life Warden, Andhra Pradesh/ Arunachal Pradesh/ Assam/ Gujarat/ Himachal Pradesh/ Ladakh/ Karnataka/ Kerala / Madhya Pradesh/ Maharashtra/ Manipur/ Mizoram/ Odisha/ Rajasthan/ Tamil Nadu/ Telangana / Uttarakhand/ Uttar Pradesh/ West Bengal.**

**Copy also to:** Sr. Technical Director, NIC with a request to upload the minutes of the meeting on PARIVESH Portal.

4. The towers shall be erected with utmost care and precautions so as not to obstruct flight path of birds, and also not increase the combined radiations from all towers in the area.
5. The location and frequencies of cell phone towers and other towers emitting EMR shall be made available in public domain. Location wise GIS mapping of all cell phone towers shall be maintained which would inter alia help in monitoring the population of birds and bees in and around the mobile towers and also in and/or around protected areas.
6. No work shall be undertaken after sunset and before sunrise.
7. The User Agency shall take prior permission from local forest officials before commencement of work.
8. The User Agency shall follow simultaneous cutting & filling of trench at the time of laying of OFC & electrical conductors and maintain the forest road to facilitate unhindered movement of wildlife.
9. Regulation of the Central Electrical Authority & Guidelines of the Wildlife Institute of India, Dehradun on Mitigative Measures for Linear Infrastructure Projects shall be strictly adhered to prevent disturbance to wildlife.
10. There shall not be any damage to existing flora and fauna.
11. An annual compliance certificate on the stipulated conditions shall be submitted by the User Agency to the State Chief Wild Life Warden and an annual compliance certificate shall be submitted by the State Chief Wild Life Warden to Government.

**82.2.2** Proposal for use of 1.1 ha of forestland from buffer zone of Rajaji Tiger Reserve and Shivalik Elephant Reserve for 4- laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad- Kotdwar to Kotdwar- Pauri road under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pakage-2 in District - Pauri Garhwal, Uttarakhand.

#### **WL/UK/ROAD/466764/2024**

The Standing Committee was informed that the proposal is for use of 1.1 ha of forestland from buffer zone of Rajaji Tiger Reserve and Shivalik Elephant Reserve for 4- laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad- Kotdwar to Kotdwar- Pauri road under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pakage-2 in District - Pauri Garhwal, Uttarakhand.

Committee was further informed that in the 80th meeting of the Standing Committee, a site inspection committee was constituted comprising of representatives of the Ministry, NTCA, WII, the State Forest Department and the User Agency for site appraisal and examination of the animal passage plan.

The site inspection committee carried out inspection and submitted its report.

The Standing Committee in the 81st meeting decided that a comprehensive review meeting may be held with the User Agency, Public Works Department, State Forest Department, National Tiger Conservation Authority to evaluate the road proposals in the Rajaji-Corbett landscape and accordingly decided to defer the proposal for the next meeting.

A meeting was held under the chairmanship of DGF & SS on 6.2.2025. Following action points emerged from the meeting:

1. The User Agency agreed to comply with all the recommendations of the site inspection committee including compensating for the loss of buildings as per the provisions of the NHAI Act.
2. Regarding the compensation of the buildings and trees, the State Government may process claim in the proposal submitted under the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980.
3. It was also decided that the recommendations of the site inspection committee would be communicated by the Ministry to the State Government of Uttar Pradesh regarding the road upgradation proposal of the Meerut-Garhwal National Highway, which passes through the tiger corridor linking Rajaji Tiger Reserve with Corbett Tiger Reserve in Uttar Pradesh.

**Decision Taken:** The Standing Committee accordingly decided to approve the proposal subject to the following conditions:

1. The User Agency to comply with all the recommendations of the site inspection committee including compensating for the loss of buildings as per the provisions of the NHAI Act.
2. Regarding the compensation of the buildings and trees, the State Government may process claim in the proposal submitted under the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980.
3. Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged.
4. The cutting of minimum identified trees shall be done under the strict monitoring of the State Forest Department.
5. Protection and mitigation measures for wildlife shall be ensured as per standard practices in such cases.
6. The forest land shall not be used for any purpose other than specified in the proposal.
7. The concerned territorial Divisional Forest Officer/Director shall monitor the implementation of the project regularly and report for the violations, if any.
8. It shall be ensured that no labourer camp shall be set up inside the forest area.
9. The user agency shall comply all the provisions of the Wild Life (Protection) Act, 1972 and all other Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order(s) and Hon'ble NGT Order(s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, for the time being in force, as applicable to the project.
10. An annual compliance certificate on the stipulated conditions shall be submitted by the User Agency to the State Chief Wild Life Warden and an annual compliance certificate shall be submitted by the State Chief Wild Life Warden to Government.

**82.2.3** Proposal for use of 30.089 ha (11.156 ha forest land and 18.933 ha non- forest land) falling under Tiger Corridor identified under Atlas Eastern Vidarbha Land Scape for up-gradation of existing National Highway no. 353 C to two/four lane with paved shallers configuration of Gadchiroli-Allapli-Sironcha of NH 353 C from Gitali-Mosam-Zamela Nallha in Gadchiroli District, Maharashtra.

**WL/MH/ROAD/472824/2024**

The Standing Committee was informed that the proposal is for use of 30.089 ha (11.156 ha forest land and 18.933 ha non- forest land) falling under Tiger Corridor identified under Atlas Eastern Vidarbha Land Scape for up-gradation of existing National Highway no. 353 C to two/four lane with paved shallers configuration of Gadchiroli-

**Name of the Project:** Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to Kotdwar-Pauri road in the state of Uttar Pradesh and Utrrakhand under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pakage-2

**Name of the Project Proponent/User Agency:** M/s National Highways Authority of India


**Undertaking Compliance of Conditon imposed by CWLW**

It is to certified that, **Shankesh Sharma, Project Director, NHAI, PIU, Najibabad** has applied for diversion of **1.1ha** forest land for Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to Kotdwar-Pauri road in the state of Uttar Pradesh and Utrrakhand under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pakage-2

I, hereby, on behalf of National Highways Authority of India undertake that all condition stipulated by Chief Wild Life Warden/SBWL/NBWL shall be complied strictly by User agency.

**Date: 15.09.2025**

**Place: Najibabad**



**Seal and Signature of**

**Authorized Signatory**

(10/09/2025) 16

**Name of the Project:** Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to Kotdwar-Pauri road in the state of Uttar Pradesh and Utrtrakhand under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pakage-2

**Name of the Project Proponent/User Agency:** M/s National Highways Authority of India


**Undertaking Compliance of Environment (Protection) Act, 1986**

It is certified that, **Shankesh Sharma, Project Director, NHAI, PIU, Najibabad** has applied for diversion of **1.1ha** forest land for Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to Kotdwar-Pauri road in the state of Uttar Pradesh and Utrtrakhand under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pakage-2

I, hereby, on behalf of National Highways Authority of India undertake that the Environment (Protection) Act, 1986 is not applicable to proposed project and also necessary permission shall be obtained under Environment (Protection) Act, 1986 if applicable.

**Date: 15.09.2025**

**Place: Najibabad**

  
**Seal and Signature of**  
**Authorized Signatory**

(10/2025) - 7

**Name of the Project:** Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to Kotdwar-Pauri road in the state of Uttar Pradesh and Uttrakhand under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pakage-2

**Name of the Project Proponent/User Agency:** M/s National Highways Authority of India


**Undertaking For No Layout Plan Of The Proposal Shall Not Be Changed**

It is to certified that, **Shankesh Sharma, Project Director, NHAI, PIU, Najibabad** has applied for diversion of **1.1ha** forest land for Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to Kotdwar-Pauri road in the state of Uttar Pradesh and Uttrakhand under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pakage-2

I, hereby, on behalf of National Highways Authority of India undertake that layout plan shall not be change by User Agency without prior approval from Central Government.

**Date: 15.09.2025**

**Place: Najibabad**

  
**Seal and Signature of**  
**Authorized Signatory**

**Name of the Project:** Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to Kotdwar-Pauri road in the state of Uttar Pradesh and Utrtrakhand under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pakage-2

**Name of the Project Proponent/User Agency:** M/s National Highways Authority of India

**Undertaking for Non establishment of Labour camp in Forst Land and Purchase of fuel**


**/Alternative Fuel from Legal Source**

It is to certified that, **Shankesh Sharma, Project Director, NHAI, PIU, Najibabad** has applied for diversion of **1.1ha** forest land for Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to Kotdwar-Pauri road in the state of Uttar Pradesh and Utrtrakhand under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pakage-2

I, hereby, on behalf of National Highways Authority of India undertake that No labour camp shall be established in any forest land.

**Date: 15.09.2025**

**Place: Najibabad**



**Seal and Signature of**

**Authorized Signatory**

**Name of the Project:** Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to Kotdwar-Pauri road in the state of Uttar Pradesh and Utrakhand under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pakage-2

**Name of the Project Proponent/User Agency:** M/s National Highways Authority of India

**Undertaking for Non establishment of Labour camp in Forst Land and Purchase of fuel**  
**/Alternative Fuel from Legal Source**

It is to certified that, **Shankesh Sharma, Project Director, NHAI, PIU, Najibabad** has applied for diversion of **1.1ha** forest land for Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to Kotdwar-Pauri road in the state of Uttar Pradesh and Utrakhand under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pakage-2

I, hereby, on behalf of National Highways Authority of India undertake that sufficient firewood, preferably the alternate fuel shall be provided to the labourer after purchasing the Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source only.

**Date: 15.09.2025**

**Place: Najibabad**

  
**Seal and Signature of**  
**Authorized Signatory**

**Name of the Project:** Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to Kotdwar-Pauri road in the state of Uttar Pradesh and Utrakhand under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pakage-2

**Name of the Project Proponent/User Agency:** M/s National Highways Authority of India


**Undertaking Fixing RCC pillar at boundary of diverted forest land**

It is to certified that, **Shankesh Sharma, Project Director, NHAI, PIU, Najibabad** has applied for diversion of **1.1ha** forest land for Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to Kotdwar-Pauri road in the state of Uttar Pradesh and Utrakhand under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pakage-2

I, hereby, on behalf of National Highways Authority of India undertake that RCC pillars shall be fixed at the boundary of Diverted forest land and marked with forward/Backward bearings at the project cost by user agency as per the direction of concerned Divisional Forest Officer.

**Date: 15.09.2025**

**Place: Najibabad**



**Seal and Signature of**

**Authorized Signatory**

**Name of the Project:** Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to Kotdwar-Pauri road in the state of Uttar Pradesh and Uttrakhand under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pakage-2

**Name of the Project Proponent/User Agency:** M/s National Highways Authority of India


**Undertaking for Palantation Shall Be Raised as per IRC**

It is to certified that, **Shankesh Sharma, Project Director, NHAI, PIU, Najibabad** has applied for diversion of **1.1ha** forest land for Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to Kotdwar-Pauri road in the state of Uttar Pradesh and Uttrakhand under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pakage-2

I, hereby, on behalf of National Highways Authority of India undertake that strip Plantation shall be raised on the both side of road and central verge (if available) at the cost of User Agency according to IRC guidelines.

**Date: 15.09.2025**

**Place: Najibabad**



**Seal and Signature of**

**Authorized Signatory**

**Name of the Project:** Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to Kotdwar-Pauri road in the state of Uttar Pradesh and Uttrakhand under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pakage-2

**Name of the Project Proponent/User Agency:** M/s National Highways Authority of India


**Undertaking For Providing Signages In Forest Land**

It is to certified that, **Shankesh Sharma, Project Director, NHAI, PIU, Najibabad** has applied for diversion of **1.1ha** forest land for Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to Kotdwar-Pauri road in the state of Uttar Pradesh and Uttrakhand under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pakage-2

I, hereby, on behalf of National Highways Authority of India undertake that Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/ Forest Areas.

**Date: 15.09.2025**

**Place: Najibabad**

  
**Seal and Signature of**  
**Authorized Signatory**

**Name of the Project:** Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to Kotdwar-Pauri road in the state of Uttar Pradesh and Uttrakhand under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pakage-2

**Name of the Project Proponent/User Agency:** M/s National Highways Authority of India


**Undertaking For Not Constructing Any Additional Path In Forest Area**

It is to certified that, **Shankesh Sharma, Project Director, NHAI, PIU, Najibabad** has applied for diversion of **1.1ha** forest land for Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to Kotdwar-Pauri road in the state of Uttar Pradesh and Uttrakhand under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pakage-2

I, hereby, on behalf of National Highways Authority of India undertake that no additional or new path shall be constructed in the forest area for transportation of construction material for execution of the project work.

**Date: 15.09.2025**

**Place: Najibabad**

  
**Seal and Signature of**  
**Authorized Signatory**

**Name of the Project:** Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to Kotdwar-Pauri road in the state of Uttar Pradesh and Utrakhand under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pakage-2

**Name of the Project Proponent/User Agency:** M/s National Highways Authority of India


**Undertaking For Land Shall Not be Used Any Other Purpose Other Than Specified**

It is to certified that, **Shankesh Sharma, Project Director, NHAI, PIU, Najibabad** has applied for diversion of **1.1ha** forest land for Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to Kotdwar-Pauri road in the state of Uttar Pradesh and Utrakhand under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pakage-2

I, hereby, on behalf of National Highways Authority of India undertake that diverted forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.

**Date: 15.09.2025**

**Place: Najibabad**

  
**Seal and Signature of**  
**Authorized Signatory**

**Name of the Project:** Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to Kotdwar-Pauri road in the state of Uttar Pradesh and Utrakhand under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pakage-2

**Name of the Project Proponent/User Agency:** M/s National Highways Authority of India

**Undertaking For FOR NO CIRCUMSTANCES BE TRANSFERRED TO ANY OTHER AGENCIES, DEPARTMENT OR PERSON**

It is to certified that, **Shankesh Sharma, Project Director, NHAI, PIU, Najibabad** has applied for diversion of **1.1ha** forest land for Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to Kotdwar-Pauri road in the state of Uttar Pradesh and Utrakhand under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pakage-2

I, hereby, on behalf of National Highways Authority of India undertake that diverted forest land shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior permission from Central Government.

**Date: 15.09.2025**

**Place: Najibabad**



**Seal and Signature of  
Authorized Signatory**

**Name of the Project:** Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to Kotdwar-Pauri road in the state of Uttar Pradesh and Utrakhand under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pakage-2

**Name of the Project Proponent/User Agency:** M/s National Highways Authority of India

**Undertaking For Any Other Condition That The Ministry Of Environment Forest & Cilmate**


**Change**

It is to certified that, **Shankesh Sharma, Project Director, NHAI, PIU, Najibabad** has applied for diversion of **1.1ha** forest land for Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to Kotdwar-Pauri road in the state of Uttar Pradesh and Utrakhand under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pakage-2

I, hereby, on behalf of National Highways Authority of India undertake to follow any other conditions that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.

**Date: 15.09.2025**

**Place: Najibabad**

  
**Seal and Signature of**  
**Authorized Signatory**

**Name of the Project:** Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to Kotdwar-Pauri road in the state of Uttar Pradesh and Uttrakhand under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pakage-2

**Name of the Project Proponent/User Agency:** M/s National Highways Authority of India

**Undertaking For Create and Maintain alternate habitat/ home for avifauna**

It is to certified that, **Shankesh Sharma, Project Director, NHAI, PIU, Najibabad** has applied for diversion of **1.1ha** forest land for Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to Kotdwar-Pauri road in the state of Uttar Pradesh and Uttrakhand under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pakage-2

I, hereby, on behalf of National Highways Authority of India undertake that in consultation with state forest department user agency shall create and maintain the alternate habitat/home for avifauna whose nesting trees are to be cleared in this project, if applicable.

Also undertake that Eco friendly material shall be used in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project area being diverted for the project.

**Date: 15.09.2025**

**Place: Najibabad**



**Seal and Signature of**

**Authorized Signatory**

**Name of the Project:** Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to Kotdwar-Pauri road in the state of Uttar Pradesh and Utrakhand under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pakage-2

**Name of the Project Proponent/User Agency:** M/s National Highways Authority of India


**Undertaking For Conservation and Preservation Of The Flora and Fauna of The Area**

It is to certified that, **Shankesh Sharma, Project Director, NHAI, PIU, Najibabad** has applied for diversion of **1.1ha** forest land for Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to Kotdwar-Pauri road in the state of Uttar Pradesh and Utrakhand under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pakage-2

I, hereby, on behalf of National Highways Authority of India undertake that suitable assistance to State Government shall be given in conservation and preservation of the flora and fauna of the area in accordance with the plan prepared by Chief Wildlife Warden of state, if any applicable.

**Date: 15.09.2025**

**Place: Najibabad**

  
**Seal and Signature of**  
**Authorized Signatory**

**Name of the Project:** Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to Kotdwar-Pauri road in the state of Uttar Pradesh and Uttrakhand under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pakage-2

**Name of the Project Proponent/User Agency:** M/s National Highways Authority of India

**Undertaking for No damage to Wildlife available in the area**

It is to certified that, **Shankesh Sharma, Project Director, NHAI, PIU, Najibabad** has applied for diversion of **1.1ha** forest land for Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to Kotdwar-Pauri road in the state of Uttar Pradesh and Uttrakhand under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pakage-2

I, hereby, on behalf of National Highways Authority of India undertake that no damage shall be caused to any wildlife available in the area by any project activity.

**Date: 15.09.2025**

**Place: Najibabad**



**Seal and Signature of**

**Authorized Signatory**

**Name of the Project:** Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to Kotdwar-Pauri road in the state of Uttar Pradesh and Utrakhand under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pakage-2

**Name of the Project Proponent/User Agency:** M/s National Highways Authority of India

**Undertaking for Safe Disposal of Muck**

It is to certified that, **Shankesh Sharma, Project Director, NHAI, PIU, Najibabad** has applied for diversion of **1.1ha** forest land for Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to Kotdwar-Pauri road in the state of Uttar Pradesh and Utrakhand under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pakage-2

I, hereby, on behalf of National Highways Authority of India undertake that muck disposal shall be done at proposed location in manner that it shall not fall outside the proposed site or as per muck disposal plan submitted along with forest proposal.

**Date: 15.09.2025**

**Place: Najibabad**

**Seal and Signature of  
Authorized Signatory**

**Name of the Project:** Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to Kotdwar-Pauri road in the state of Uttar Pradesh and Utrrakhand under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pakage-2

**Name of the Project Proponent/User Agency:** M/s National Highways Authority of India


**Undertaking For Resposibiliv To Take Necessary Permission For Any Other Applicable  
ACT/Guidelins/Court Order etc.**

It is to certified that, **Shankesh Sharma, Project Director, NHAI, PIU, Najibabad** has applied for diversion of **1.1ha** forest land for Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to Kotdwar-Pauri road in the state of Uttar Pradesh and Utrrakhand under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pakage-2

I, hereby, on behalf of National Highways Authority of India undertake that it is responsibility of user agency to take necessary permission under any other ACT/Guideline/Rule/Court Order etc applicable to Project.

**Date: 15.09.2025**

**Place: Najibabad**



**Seal and Signature of**

**Authorized Signatory**

**Name of the Project:** Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to Kotdwar-Pauri road in the state of Uttar Pradesh and Utrakhand under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pakage-2

**Name of the Project Proponent/User Agency:** M/s National Highways Authority of India

**Undertaking For Compliance of Act, Rules, Directions, Court orders and NGT orders.**

It is to certified that, **Shankesh Sharma, Project Director, NHAI, PIU, Najibabad** has applied for diversion of **1.1ha** forest land for Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to Kotdwar-Pauri road in the state of Uttar Pradesh and Utrakhand under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pakage-2

I, hereby, on behalf of National Highways Authority of India undertake that it shall be ensure by user agency to compliance of all applicable ACT, Rule, Directions, Guidelines, Court Orders and NGT orders.

**Date: 15.09.2025**

**Place: Najibabad**

  
**Seal and Signature of**  
**Authorized Signatory**

**Name of the Project:** Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to Kotdwar-Pauri road in the state of Uttar Pradesh and Uttrakhand under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pakage-2

**Name of the Project Proponent/User Agency:** M/s National Highways Authority of India


**Undertaking For No Violation Of Any Of These Conditions.**

It is to certified that, **Shankesh Sharma, Project Director, NHAI, PIU, Najibabad** has applied for diversion of **1.1ha** forest land for Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to Kotdwar-Pauri road in the state of Uttar Pradesh and Uttrakhand under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pakage-2

I, hereby, on behalf of National Highways Authority of India undertake that Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt. 29/01/2018.

**Date: 15.09.2025**

**Place: Najibabad**

  
**Seal and Signature of**  
**Authorized Signatory**